

इज़रायल से इरिट्रियावासियों के नरिवासन पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता

प्रलिस के लयि:

अंतर्राष्ट्रीय कानून, [संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी \(UNHCR\)](#), प्रसिपिल ऑफ नॉन-रफाउलमेंट:

मेन्स के लयि:

शरणार्थी अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्त्व

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

तेल अवीव में इरिट्रिया समुदाय के प्रतदिवंदवी गुटों के बीच हसिक झड़पों के बाद [संयुक्त राष्ट्र](#) ने इज़रायल से इरिट्रिया में शरण चाहने वालों के संभावति बड़े पैमाने पर नरिवासन पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि पुनरवसन का ऐसा कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा।

संयुक्त राष्ट्र की चिंता को प्रेरति करना:

- [संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी \(United Nations Refugee Agency- UNHCR\)](#) ने कहा कि वह उन झड़पों के बारे में "अत्यधिक चिंति" है जो उस समय हुईं जब इरिट्रिया सरकार के एक कार्यक्रम के खिलाफ कथि जा रहा प्रदर्शन हसिक हो गया।
 - UNHCR ने शांति का आह्वान कथि और इसमें शामिल सभी पक्षों से ऐसे कार्यों से दूर रहने का आग्रह कथि जो स्थतिको और गंभीर बना सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR):

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उचचायुक्त (UNHCR) का कार्यालय वर्ष 1950 में द्वितीय वशिव युद्ध के बाद उन्लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता के लयि बनाया गया था जो भाग गए थे या अपने घर खो चुके थे।
- वर्ष 1954 में UNHCR ने यूरोप में अपने अभूतपूर्व कार्य के लयि [नोबेल शांति पुरस्कार](#) जीता। लेकिन हमें अपनी अगली बड़ी आपात स्थतिको सामना करने में ज्यादा समय नहीं लगा।
- वर्ष 1981 में शरणार्थियों के लयि वशिवव्यापी सहायता हेतु इसे दूसरा नोबेल शांति पुरस्कार मला।

शरणस्थल और नरिवासन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं नीति:

- इरिट्रिया नरिवासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:
 - गैर-वापसी का सदिधांत:
 - [गैर-वापसी का सदिधांत \(1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल\)](#) अंतर्राष्ट्रीय कानून में एवं वशिष रूप से शरणार्थी कानून के संदर्भ में एक अच्छी तरह से स्थापति अवधारणा है।
 - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, गैर-वापसी का सदिधांत यह गारंटी देता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहयि जहाँ उन्हें यातना, क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक स्थतिको सज़ा तथा अन्य अपूरणीय क्षतिको सामना करना पड़ेगा।

- **इजरायल इन संधियों का एक पक्षकार है** और अपने क्षेत्र अथवा प्रभावी नियंत्रण के भीतर शरणार्थियों तथा शरण चाहने वालों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को पूरा करना उसका दायित्व है।
 - यदि इजरायल इरिट्रियावासियों को नषिकासति करता है, तो यह गैर-वापसी के संधिगत का उल्लंघन होगा, **क्योंकि इरिट्रिया को विश्व के सबसे सत्तावादी राज्यों में से एक माना जाता है, जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन का परणाम व्यापक और गंभीर है।**
- अपने मूल देश में वापस लौटे इरिट्रियावासियों को यातना, दुरव्यवहार, राजनीतिक दमन और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ सकता है।
- **शरण का अधिकार:**
 - शरण का अधिकार **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा** द्वारा मान्यता प्राप्त एक मौलिक मानव अधिकार है।
 - शरण के अधिकार का तात्पर्य यह है **कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्य देशों में उत्पीड़न से सुरक्षा पाने का अधिकार है।**
 - इरिट्रियावासियों को सामूहिक रूप से नषिकासति करके, इजरायल शरण के अधिकार का उल्लंघन करेगा, क्योंकि ऐसे में उनका इजरायल या अन्य सुरक्षित देशों में उत्पीड़न से सुरक्षा पाना असंभव हो जाएगा।

नोट:

- भारत, **शरणार्थी कन्वेंशन- 1951** और **उसके प्रोटोकॉल- 1967** जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं, का पक्षकार नहीं है।
 - इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 में गैर-वापसी का अधिकार शामिल है।
- हालाँकि, **शरणार्थी और शरण वधियक, 2019** को राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानून:

- **परिचय:**
 - वर्ष **1780** में जेरेमी बेंथम द्वारा बनाया गया।
 - यह देशों (राष्ट्रों) के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
 - इसका उद्देश्य नागरिकों को लाभ पहुँचाना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है।
 - यह सहयोग और शांतिपूर्ण तरीकों से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करता है।
- **लक्ष्य:**
 - मौलिक मानवीय अधिकारों की रक्षा करना।
 - इसका उद्देश्य नागरिकों को लाभ पहुँचाना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
 - सहयोग और शांतिपूर्ण तरीकों से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय:**
 - **व्यक्ति:** किसी भी राज्य के आम लोग।
 - **अंतरराष्ट्रीय संगठन:** उदाहरण संयुक्त राष्ट्र।
 - **बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ:** कई देशों में कार्य करती हैं।

इरिट्रिया के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- इरिट्रिया **हॉर्न ऑफ अफ्रीका** में एक देश है, जो लाल सागर के तट पर स्थित है।
- राजधानी: **अस्मारा**।
- यह इथियोपिया, सूडान और जर्बूती के साथ स्थल-सीमा साझा करता है।
- **सऊदी अरब और यमन के साथ यह समुद्री सीमाएँ साझा करता है।**
- पूर्व में यह एक इतालवी उपनिवेश था जो वर्ष 1947 में इथियोपिया के साथ एक संघ का हिस्सा बन गया, वर्ष 1952 में इरिट्रिया को इथियोपिया ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वर्ष 1993 में यह स्वतंत्र हुआ।



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के परश्न (PYQ)

??????????:

पर. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2011)

1. शकिषा का अधकिर
2. सार्वजनकि सेवा तक समान पहुँच का अधकिर
3. भोजन का अधकिर

उपरोक्त में से कौन-सा/से "मानव अधकिरों की सार्वभौमकि घोषणा" के तहत मानव अधकिर है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????????:

परश्न. "शरणार्थयिों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहयि जहाँ उन्हें उत्पीडन या मानवाधकिर उल्लंघन का सामना करना पडेगा।" खुले समाज के साथ लोकतांत्रकि होने का दावा करने वाले राष्ट्र द्वारा उल्लंघन कयि जा रहे नैतिक आयाम के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजयि। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/un-concerns-over-eritrean-deportations-from-israel>

